

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्राथी/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण


मुमानराम

बनाम

रणजीतराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 30 / 2023

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 251क आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 03.02.2023 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये हैं। साथ ही प्रकरण में हिदायत के साथ अन्तिम अवसर सीपीसी प्रावधानुसार कार्यवाही की जाने की हिदायत के साथ दिनांक 10.03.2026 को प्रदत्त किया गया। परन्तु वकील प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आदिनांक तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई है।</p> <p>चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है। अतः प्रार्थी अधीन धारा 251क एक्ट 1955 बावजूद हिदायत अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	